न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 11 सन 2021

अनवान :–

1. फुलाराम पुत्र बीरूराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोटाराम पुत्र बीरूराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
2. गीतोदवी पत्नी स्व फुलाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
3. बिमला पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
7. चुकादेवी पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
9. मंजुदेवी पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
10. बसू पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
11. पूजा पुत्री फुसाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
12. दुलीचन्द पुत्र स्व मनी जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
13. लीलूराम पुत्र स्व मनी जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
14. जगदीश पुत्र स्व रूकमा जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
15. तेजाराम पुत्र स्व रूकमा जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
16. भीयाराम पुत्र स्व रूकमा जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
17. सोना पुत्री स्व रूकमा जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
18. प्रेमा पुत्री स्व रूकमा जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
19. मंजु पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
20. संजु पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
21. ममता पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
22. मनीषा पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
23. सुमन पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
24. सानिया पुत्री भीयाराम जाति मेधवाल निवासी सूरजनसर तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 114/115 की कुल 14.1640हैक भूमि व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 22/19 की कुल 10.4230हैक भूमि तथा खाता संख्या 136/126 की कुल 22.6670हैक भूमि बीरूराम वल्द किशनाराम के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज है ।

वादी के पिता बीरूराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है बीरूराम पुत्र किशनाराम के जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया जिसमें से पुत्र फुसाराम एव पुत्री मनी , रूकमा का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है रूकमा का एक पुत्र भीयाराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात वर्तमान में बीरूराम पुत्र किशनाराम के जायज जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो बीरूराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 त 11 वादी के भाई फुलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 वादी की बहन मनी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 वादी की मृतक बहन रूकमा

उपखण्ड अधिकारी

के वारिसान है व प्रतिवादी संख्या 19 ता 24 रूकमा के मृतक पुत्र भीयाराम के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भान्जो/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बीरूराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पुर्वज बीरूराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जिनको देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 24 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 114/115 की कुल 14.1640हैक भूमि व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 22/19 की कुल 10.4230हैक भूमि तथा खाता संख्या 136/126 की कुल 22.6670हैक भूमि बीरूराम वल्द किशनाराम के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज है ।

वादी के पिता बीरूराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है बीरूराम पुत्र किशनाराम के जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया जिसमें से पुत्र फुसाराम एव पुत्री मनी , रूकमा का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है रूकमा का एक पुत्र भीयाराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात वर्तमान में बीरूराम पुत्र किशनाराम के जायज जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो बीरूराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 त 11 वाादी के भाई फुलाराम की पुत्रीया है प्रतिवाादी संख्या 12 ता 13 वादी की बहन मनी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 वादी की मृतक बहन रूकमा के वारिसान है व प्रतिवादी संख्या 19 ता 24 रूकमा के मृतक पुत्र भीयाराम के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भान्जो/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 114/115 की कुल 14.1640हैक भूमि व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 22/19 की कुल 10.4230हैक भूमि तथा खाता संख्या 136/126 की कुल 22.6670हैक भूमि बीरूराम वल्द किशनाराम के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज बीरूराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है बीरूराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 24 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 114/115 की कुल 14.1640हैक में सयुक्त तौर से वादी अकेला 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/15 हिस्सा एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 22/19 की कुल 10.4230हैक में सयुक्त तौर से वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/9 हिस्सा तथा खाता संख्या 136/126 की कुल 22.6670हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी अकेला 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिससा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है बीरूराम वल्द किशनाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)